...श की ...-संख्या ...र, दिया	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20.09.2017 07.12.2017	**उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा** **R.M.R.Case No. - 09/2016-17** **सुभाष गोराई एवं अन्य बनाम 16–आना रैयत** **आदेश** प्रस्तुत वाद R.M.R. - 09/2016-17 सुभाष गोराई एवं अन्य ग्राम–बिन्दापाथर सरदारी सार्कल–तिलाकी, अनुमंडल एवं जिला– जामताड़ा के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी जामताडा के वाद Rev. Misc.Case No. 14/2011–12 मे दिनांक 08.07.2015 को पारित आदेश के विरूद रिवीजन दायर किया गया। पक्षकर्ता के आवेदन, उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं अनुमंडल पदाधिकारी जामताडा के दिनांक–08.07.2015 को पारित आदेश का अवलोकन किया। पक्षकार गण जमीनदारी पट्टा के अधार पर सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी जामताडा के नयायालय मे Rev. Misc. Case no-282/2001–02 में उक्त जमीन का सीमांकन कराये तथा उस जमीन पर दुकान चला रहे है। जमींदारी उन्मुलन के इतने वर्षो बाद जमींदार द्वारा निर्गत पट्टा की वैधता का जाँच करना असम्भव है तथा खुद आवेदक का इतने वर्षों बाद लगान निर्धारण करने के इस संदेह को बल देता हे की यह सादा पट्टा सही नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के वाद Rev. Misc.Case No 14/2011–12 मे दिनांक 08.07.2015 को पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। यह रिवीजन आवेदन खारिज किया जाता है। उपायुक्त जामताडा।	DB dt. 20.1.013

Scanned with CamScanner